भामाशाह योजना

भामाशाह योजना की पृष्ठ भूमि एवं परिचय–

सरकार के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनता को वित्तीय सुविधाएँ (पेंशन, छात्रवृत्ति, अकालराहत, बाढ़राहत, अनुदान आदि) तथा गैर वित्तीय सुविधाएं (राशन, केरोसीन, रियायती गैस सिलैण्डर, डीजल, खाद, बीज, कृषि उपकरण आदि) प्रदान की जाती रही है। बावजूद इसके समाज में महिलाओं, बुजुर्गों, विधवाओं, परित्यक्ताओं, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति अभी भी विचारणीय है और देश के आर्थिक विकास की गति भी वांछित दर से नहीं बढ़ पा रही है।

पिछले एक दशक से देश में प्रत्येक स्तर पर यह महसूस किया जाने लगा है कि समाज में महिला जो परिवार की सभी क्रियाओं की धुरी है तथा समाज के विकास का अहम अंग है, उसे स्वावलम्बी तथा सशक्त बनाए बिना देश के आर्थिक विकास में वांछित गति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके साथ–साथ आम आदमी को विकास में भागीदार तथा योजनाएं पारदर्शी बनानी होगी, सामाजिक रूप से उपेक्षित एवं पिछड़े हुए वर्गों का उत्थान करने के लिए जन कल्याकारी योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से उन तक पहुँचाना होगा तभी देश में कल्याणकारी राज्य का सपना साकार होगा और आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त होगी।

इसलिए राजस्थान सरकार ने कुशल, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सुशासन के साथ–साथ महिला सशक्तिकरण के द्वारा सुराज की कल्पना को साकार करने के लिए वर्ष 2008 में भामाशाह वित्तीय समावेशी योजना को लागू किया। यह योजना महिला सशक्तिकरण के साथ वित्तीय सशक्तिकरण की योजना थी। यह देश और राज्य की पहली प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना (DBT) थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से यह योजना वर्ष 2009 से आगे क्रियान्वित नहीं हो पायी।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न थे :–

1. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) अर्थात् प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता होना सुनिश्चित करना।
2. बैंक खाते महिलाओं के नाम से हो, जिससे कि महिलाऐं ही यह तय कर सके कि परिवार के लिए खर्च किन चीजों के लिए आवश्यक है।
3. सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए, ताकि लाभार्थी को लाभ सीधा एवं शीघ्र मिले।

देश के 68वें स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2014 को राजस्थान सरकार के द्वारा उदयपुर से भामाशाह योजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2008 में महिलाओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए भामाशाह के नाम पर भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी। जिसे आवश्यक सुधारों के साथ विस्तृत रूप में इस योजना को देश के 68 वें स्वतन्त्रता दिवस पर मेवाड़ की पवित्र धरा से पुनः प्रारम्भ करने का निर्णय लिया ताकि आजादी की वर्षगांठ के इस दिन 15 अगस्त 2014 को महिला स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया जाता रहे। मेवाड़ (उदयपुर) से यह योजना इसीलिए प्रारम्भ की गयी क्योंकि यहाँ

पन्नाधाय, हाड़ी रानी और रानी पद्मिनी जैसी वीरागनाओं ने नारी जाति का मस्तक गर्व से ऊचाँ किया है। राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सहयोगी भामाशाह के नाम पर इस योजना का नामकरण किया गया। भामाशाह वह वीर सहयोगी था जिसने महाराणा प्रताप को मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध जारी रखने के लिए अपनी संपूर्ण सम्पति महाराणा प्रताप को दान कर दी थी।

यह योजना प्रधानमंत्री 'जन धन योजना' से मिलती जुलती है लेकिन अन्तर इतना है कि जनधन योजना आर्थिक रुप से कमजोर उन परिवारों हेतु है जिनका बैंक में कोई खाता नहीं है। इसमें एक परिवार के किसी दो सदस्यों का बैंक खाता खोला जाता है तथा उसके साथ 1 लाख दुर्घटना बीमा दिया जाता है। जबकि ''भामाशाह योजना'' राजस्थान के परिवारों की महिला प्रमुखों के लिये है।

भामाशाह योजना के तहत् महिलाओं को क्या–क्या लाभ दिये जायेंगेः–

♦ इस योजना के तहत् राज्य की सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया तक सीधे पहुँचाने के लिये शुरु की गयी है।

♦ इस योजना का लक्ष्य राज्य की ड़ेढ करोड़ महिलाओं का पंजीयन किया जायेगा तथा उनका बैंक में खाता खोला जायेगा।

♦ महिलाओं का बैंक में खाता खोलने के लिये भामाशाह कार्ड के लिये पंजीयन होना आवश्यक है।

♦ इस योजना में महिलाओं को 30000/– रुपये तक का मुफ्त मेडिकल बीमा तथा गंभीर बीमारी की अवस्था में 3 लाख तक की सहायता दी जायेगी।

♦ विद्यार्थी एवं विकलांग व्यक्तियों के लिये विशेष कार्ड जारी किया जायेगा।

♦ न केवल महिला बल्कि पुरुष भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं लेकिन उन्हें 20 या 25 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा।

बेहतर समाज के निर्माण हेतु नारी को सशक्त और आत्मनिर्भर होना अनिवार्य है। नारी का सशक्तिकरण समाज का सशक्तिकरण है। सभी सरकारी योजनाओं के नगद और गैर नगद लाभ के सीधे एवं पारदर्शी रुप से वितरण करने वाली भामाशाह योजना राज्य की पहली योजना है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी तथा इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे:–

वित्तिय समावेश [Financial Inclusion] अर्थात् यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो।

और उक्त बैंक खाते महिलाओं के नाम से हो तथा महिला ही यह तय करें कि परिवार के लिये खर्च किन चीजों के लिये आवश्यक है।

तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खातों में जमा कराया जाए तथा लाभार्थी को सीधा एवं शीघ्र लाभ मिलें।

राज्य में विद्यमान तकनीकी एवं इलेक्ट्रानिक ढाचें का विस्तार एवं सुदृढीकरण किया जायेगा तथा इस कार्यक्रम की सफलता हेतु त्रुटिरहित समंको (Error Free Data Base) की आवश्यकता है।

इस योजना के माध्यम से राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को कोर बैंकिंग सुविधायुक्त किसी भी बैंक में आधार पत्र (कार्ड) पहचान संख्या से जुड़ा बचत खाता खोलना आवश्यक होगा। पारिवारिक लाभ को आवश्यक रुप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित किया जायेगा। इस हेतु भामाशाह योजना में नामांकन के साथ, महिला मुखिया का खाता होने पर उसे एकत्रित किये जा रहे भामाशाह डेटा बेस से लिंक करना है।

भामाशाह नामांकन क्रिया में परिवार के सभी आयु वर्ग के समस्त सदस्यों का नामांकन किया जाएगा। यह परिवार आधारित नामांकन है। भामाशाह कार्ड, नागरिकता कार्ड (सीटिजनशीप कार्ड) नही है। भामाशाह कार्ड बनाते समय आवेदक की पहचान एवं पुष्टि निम्न दस्तावेजों से करते है:–

1. राशनकार्ड
2. मतदाता कार्ड
3. नरेगा जॉब कार्ड,
4. पेनकार्ड
5. आधार कार्ड
6. पासपोर्ट
7. पानी/बिजली/टेलिफोन बिल/डाईविंग लाईसेस/फोटो युक्त बैंक की पास बुक

योजना की प्रमुख विशेषताएं –

1. इस योजना में परिवार को आधार मानकर नामांकित परिवार की महिला मुखिया को पहचान के साथ–साथ बहुउद्देशीय ''भामाशाह कार्ड'' दिया जाता है।
2. भामाशाह कार्ड लाभार्थी की बायोमैट्रिक पहचान सुनिश्चित करता है।
3. लाभार्थी का बैंक खाता कोर बैंकिंग समर्थ होना सुनिश्चित किया जाता है।
4. घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाना।
5. विभिन्न विभागों के लिए पात्रता हेतु परिवार की सभी आवश्यक सूचना का भी भामाशाह नामांकन में समावेश किया गया है।
6. सभी सरकारी योजनाओं के नकद व गैर–नकद लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से प्रदान करना।
7. किसी भी योजना की सहायता/राशि वास्तविक हकदार व्यक्ति या उसके परिवार को ही दी जाती है।
8. प्राप्त होने वाली सहायता/राशि तथा राशि निकालने की जानकारी मोबाईल पर दी जाती है।
9. योजना के माध्यम से लाभ प्राप्ति हेतु नागरिकों को अपने परिवार के सभी सदस्यों का भामाशाह नामांकन निकटस्थ ई–मित्र केन्द्र पर निःशुल्क करवाकर बैंक खाता, आधार नम्बर व अन्य सूचनाएं जुड़वाने की सुविधा।
10. सभी सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने हेतु सभी विभागों के लिए भामाशाह योजना प्लेटफार्म तैयार किया गया है। जिससे चरणबद्ध रूप से सभी सरकारी योजनाओं को जोड़कर लाभ प्रदान किए जाएंगे।
11. भामाशाह योजना प्लेटफार्म के माध्यम से राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जननी सुरक्षा योजना, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्ति, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे लाभों का वितरण।
12. भामाशाह योजनान्तर्गत नामांकित बी.पी.एल., स्टेट बी.पी.एल., अन्त्योदय व अन्नपूर्णा में चयनित परिवारों की महिला मुखिया के खाते में 2000/– रूपये बतौर सहायता राशि एक मुश्त प्रदान की जा रही है।
13. वर्तमान इलेक्ट्रोनिक ढांचा तंत्र का विस्तार कर स्टेट डाटा हब तैयार किया गया है।

भामाशाह योजना के विभिन्न चरणः–

♦ महिला मुखिया के नाम बैक खाता नहीं होने पर शिविर में बैंक खाता खुलवाया जाना आवश्यक होगा।

♦ वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा नये राशन कार्ड भी बनाये गये है। यह कार्य शीघ्रता से किया गया अतः इसमें अनेक त्रुटियाँ रह गयी। अतः भामाशाह योजना में डेटा बेस में रही त्रुटियों का सुधार अनिवार्य है।

♦ प्रदेश में निवास कर रहे परिवारों का त्रुटि रहित सर्वेक्षण किया जाए तथा परिवार आधारित सूचना परिवार के सदस्यों की बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ एकत्र की जायेगी। इससे पृथक–पृथक सर्वे करने की आवश्यकता समाप्त हो जायेगी तथा राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, बीपीएल आदि सभी लाभ भामाशाह कार्ड के माध्यम से दिये जायेंगे।

♦ भामाशाह नामांकन के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों एवं परिवार के समस्त सदस्य जो किसी भी आयु का हो, का समग्र डेटाबेस तैयार किया जायेगा। इससे परिवार के सदस्यों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पात्रता निर्धारित करने हेतु अन्य सूचना यथा वैवाहिक स्थिति, पारिवारिक श्रेणी, व्यवसाय, आय, पहचान सत्यापन दस्तावेज का भी संग्रहण किया जायेगा।

♦ नामांकन शिविर ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। सूचनाओं का सत्यापन पटवारी, ग्राम सेवक तथा नामित अधिकारी द्वारा अनिवार्य रुप से किया जायेगा।

♦ शिविर में परिवारों की संबंधित सूचना एकत्र करना, परिवार के सदस्यों का फोटो लेना, जिन लोगो का आधार नामांकन नही हुआ है उनके बायोमेट्रिक विधि द्वारा आधार नामांकन भी करवाना तथा परिवार की महिला के नाम बैंक खाता खुलवाना।

♦ पूर्व में भरे परिवार की सूचनाओं की डाटा प्रविष्टि तथा आवश्यक हुआ तो अशुद्धियों (त्रुटियों) का सुधार करवाना एवं सूचनाओं का सत्यापन करवाना।

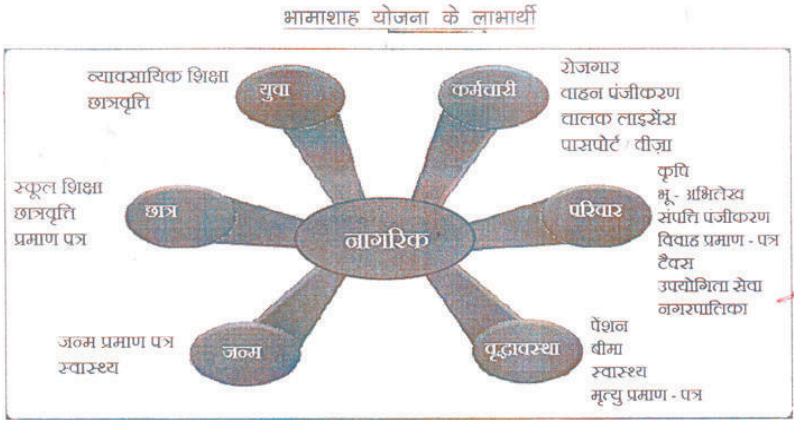

भामाशाह योजना के सफल संचालन हेतु कार्य विभाजन –

भामाशाह योजना के नामांकन हेतु ग्रामस्तर/जिलास्तर/राज्यस्तर पर शिविर आयोजित किये जाएगें। जिलास्तर पर जिला भामाशाह प्रबन्धक, जिलाधीश को नियुक्त किया गया है तथा ग्रामीण क्षेत्रो में शिविर प्रभारी, उपखण्ड अधिकारी और विकास अधिकारी नियुक्त किये गये है। प्रत्येक शिविर में भामाशाह कार्ड से संबंधित समस्त जानकारी का सत्यापन पटवारी और ग्राम सेवक द्वारा किया जा रहा है तथा सत्यापन की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है।

भामाशाह योजना की आवश्यकताः–

यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तिय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है। इसमें हर परिवार को भामाशाह कार्ड दिया जाता है जो उसके बैंक खाते से जुडा होता है। यह बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम से होता है तथा वही इस खाते की राशि का परिवार के हित में उचित उपयोग कर सकती है। यह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान सहित

कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक परिवार का सत्यापन कर पूरे राज्य का समग्र डेटाबेस बनाया जा सकता है। भामाशाह कार्ड का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रुप से पहुँचाना है।

■ आम नागरिक को घर के नजदीक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने हेतु भामाशाह नामांकन/संशोधन/अध्यतन हेतु राज्य के सभी ई–मित्र केन्द्रों को स्थाई नामांकन केन्द्र घोषित किया गया है। ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं हैं वहाँ ई–मित्र, भारत निर्माण सेवा केन्द्र, एवं एटीएम की सुविधा सुनिश्चित की गयी है ताकि लाभार्थी को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सकें।

■ इस योजना में चरणबद्ध रुप में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों तथा राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के लाभार्थियों के भामाशाह कार्ड के माध्यम से सीधे एवं पारदर्शी रुप से लाभ वितरित किया जाना है।

इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा योजना को भी भामाशाह योजना से जोड़कर इसका नाम भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना रखा है। सरकार द्वारा इसकी घोषणा बजट 2014–15 में की गई है।

इसी प्रकार कौशल विकास एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु राजस्थान सरकार ने केन्द्र की मुद्रा (MUDRA) योजना के साथ भामाशाह योजना को जोड़कर भामाशाह सृजन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत् राज्य में, युवाओं में, कौशल विकास के द्वारा रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार द्वारा सभी कल्याणकारी योजनाओं को भामाशाह प्लेट फार्म से जोड़ा जाएगा। सम्पूर्ण राज्य में भामाशाह योजना के माध्यम से सभी वर्गो के लाभार्थियो को जोड़ा जा रहा है। इस हेतु परिवार के समस्त सदस्यों का प्रमाणित डेटा बेस तैयार किया जाएगा। जिसे 'भामाशाह डेटा हब' कहा जाएगा। भामाशाह कार्ड सभी योजनाओं से प्राप्त लाभ की प्राप्ति का माध्यम बनेगा ।

भामाशाह डेटा हब श्रम शक्ति नियोजन नीति निर्माण में, कल्याणकारी योजना का दुरूपयोग रोकने में तथा अपराध तथा अपराधियों पर नियत्रंण करने में उपयोगी होगा।

आधार कार्ड में व्यक्ति विशेष मात्र की पहचान तथा उससे संबंधित जानकारी रहती है जबकि भामाशाह कार्ड उसकी तथा उसके परिवार की समस्त जानकारी प्रमाणित करता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता की अधिकारिता को प्रमाणित करता है। इस प्रकार भामाशाह कार्ड केन्द्र सरकार की डिजीटल इण्डिया कार्यक्रम की दिशा में सार्थक प्रयास है।

भामाशाह कार्ड एवं आधार कार्ड में अंतर

क्र.सं.	भामाशाह कार्ड	आधार कार्ड
1.	कार्ड लाभार्थी को सीधे लाभ पहुंचाने के साथ–साथ उसकी पहचान, लाभ हस्तान्तरण, लाभ वितरण एवं अधिकारिता को शामिल करता है।	व्यक्ति को यह केवल विशिष्ट पहचान देता है।
2.	वित्तीय समावेश के लिए बैंक खाते से व्यक्ति को अनिवार्य रूप से जोड़ता है।	ऐसी कोई सुविधा नहीं देता है।
3.	महिला सशक्तिकरण के लिए परिवार की महिला मुखिया के नाम बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।	ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है।
4.	ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर सेवा उपलब्ध है।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

भामाशाह योजना तथा बैक की भूमिका –

भामाशाह नामांकन हेतु बैंक खाता खुलवाना आवश्यक है। चूँकि सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता परिवार की महिला मुखिया के बैंक बचत खाते में राशि के सीधे हस्तान्तरण की योजना है। अतः निम्न आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है :–

1. आवेदन प्रपत्र
2. लाभार्थी की दो फोटो,
3. आधार कार्ड की प्रति
4. राशन कार्ड की प्रति
5. मतदाता पहचान पत्र
6. बी0पी0एल0 कार्ड
7. नरेगा जोब कार्ड
8. पेन कार्ड
9. पासपोर्ट

उपरोक्त क्र.सं. 3 से 9 में से कोई एक मूल दस्तावेज पेश करना होगा । यह बैंक खाता सामान्य बचत के रुप में भी काम में लिया जा सकता है। भामाशाह नामांकन हेतु आधार कार्ड नामाकंन होना आवश्यक है। महिलाओं के भामाशाह नामाकंन हेतु किसी प्रकार का शुल्क लाभार्थी द्वारा देय नहीं है। रिजर्व बैक के दिशा निर्देशानुसार शून्य शेष (Zero Balance) पर बैक खाता खोला जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याण की विभिन्न योजनओं में नगद/गैर नगद लाभ प्राप्त करने हेतु अव्यस्क द्वारा भी बैंक बचत खाता किसी व्यस्क के साथ खाता खोला जा सकता है, यदि किसी के पास बैक खाता है तो उसे नया खाता खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। उस खाते को भामाशाह आधार कार्ड नामांकन से जोड़ा जा सकता है।

भामाशाह योजना के लाभ :–

1. बिना किसी विलम्ब के शीघ्र भुगतान – योजना के अन्तर्गत मिलने वाले सभी नगद और गैर–नगद लाभ बिना किसी विलम्ब और परेशानी के पूर्ण पारदर्शिता के साथ मिलते है। भामाशाह योजना के अन्तर्गत ये सभी लाभ हस्तान्तरण इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा होते है। जिसे लाभार्थी द्वारा घर के नजदीकी बैंक, बैकिंग संवादकर्ता अथवा माइक्रो एटीएम मशीनधारक ई–मित्र से आहरित किया जा सकता है।
इसे दो उदाहणों से समझा जा सकता है जैसे पेंशन पोस्टमैन के माध्यम से 2–3 माह तक विलम्ब से प्राप्त होती थी, जोकि अब माह के प्रथम सप्ताह में बैंक खाते में जमा हो जाती है। इसी प्रकार जननी सुरक्षा योजना का पैसा महिला के स्वस्थ होने पर बैंक खाता खुलवाने पर 1–2 माह तक विलम्ब से प्राप्त होता था जबकि नामांकित परिवार की महिला को डिलीवरी से 1–2 दिवस में ही राशि प्राप्त हो जाती है।

2. सभी लाभ घर के पास उपलब्ध – भामाशाह योजना का लाभ आम–जन तक पहुँचाने के लिए राज्य में संचालित 35 हजार से अधिक ई–मित्र केन्द्रों को स्थायी नामांकन केन्द्र घोषित कर, इन केन्द्रों पर अनेक सुविधाएं यथा – भामाशाह नामांकन, अद्यतन, कार्ड वितरण, बैकिंग सुविधा इत्यादि प्रदान की जा रही है। वे केन्द्र आम नागरिक को प्रत्येक जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत में घर के नजदीक सेवा उपलब्ध कराते है। नरेगा भुगतान से लेकर पेंशन, छात्रवृत्ति व अन्य लोक–कल्याणकारी योजनाओं की राशि भी इन सभी केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार प्राप्त की जा सकती है।

3. मोबाईल पर पूरी जानकारी – भामाशाह योजना के नामांकन के दौरान लाभार्थी द्वारा मोबाईल नम्बर भी उपलब्ध करवाया जाता है। लाभार्थी के हर वित्तीय लेन–देन की सूचना इस मोबाईल पर उपलब्ध होती है। जब भी किसी प्रकार की लाभ राशि लाभार्थी के खाते में हस्तांरित होगी या लाभार्थी द्वारा निकाली जायेगी तो इसकी सूचना उसके मोबाईल पर मैसेज के माध्यम से तुरन्त प्राप्त होती है।

4. पूरी तरह सुरक्षित – भामाशाह कार्ड बायो–मैट्रिक पहचान सहित कोर बैकिंग को सुनिश्चित करता है अतः यह पूरी तरह सुरक्षित है। बैंक खाते से राशि लाभार्थी के अलावा किसी अन्य द्वारा निकाला जाना संभव नहीं है।

5. घर के नजदीक बैकिंग सुविधा – ऐसे क्षेत्र जहां बैकिंग सुविधा नहीं है, वहां विभिन्न बैंकों के बैकिंग संवादकर्ता कार्यरत हैं, लेकिन सरकार द्वारा आम नागरिकों को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के अटल सेवा केन्द्र पर कार्यरत ई–मित्र संचालक को बैंकिंग संवादकर्ता नियुक्त करवाया गया है। जो कि बैंक के प्रतिनिधि के तौर पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाता है।

इन बैंकिंग संवादकर्ताओं तथा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत ई–मित्र केन्द्रों को माइक्रो एटीएम मशीन उपलब्ध करवायी गयी है, जिससे कोई भी व्यक्ति राशि आहरित कर सकता है। अब तक 20 हजार से अधिक ई–मित्र केन्द्रों को माइक्रो एटीएम मशीनें उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

भविष्य में समाज की स्थिति पर प्रभावः—

भामाशाह योजना राजस्थान प्रदेशवासियों के लिये एक ऐसी योजना है जिसमें महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को मिलेगा। प्रदेश में पितृ सत्तात्मक परिवारों का बोलबाला है। इस योजना में महिला, जो कि परिवार की धुरी है, को महत्व दिया है वह सरकार द्वारा देय लाभ/सहायता को परिवार की आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेगी। चूंकि भामाशाह योजना का उद्देश्य सभी राजकीय योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ को प्रत्येक लाभार्थी को सीधा पारदर्शी रुप से पहुँचाना है, इसमें सरकार द्वारा दिया गया समस्त लाभ/राशि सीधी लाभार्थी के बचत खाते में जमा होगी अर्थात् भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा तथा प्रदेश प्रगति करेगा। इस योजना में बिचौलियों की किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं रहेगी।

इस योजना में प्रदेश की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं जैसे राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को सीधे एवं पारदर्शी रुप से लाभ वितरित करना है।

इस योजना से परिवार के समस्त सदस्यों की समस्त सूचनाएँ प्राप्त की जाती है अतः भविष्य की रुपरेखा निर्धारण में सहायक है।

भामाशाह योजना के लिए नामांकन-प्रपत्र का प्रारूप

भामाशाह नामांकन प्रपत्र

परिवार के मुखियाओं के नाम.....(पत्नी).....(पति) परिवार की श्रेणी : एससी/एसटी/ओबीसी/एसबीसी/सामान्य जाति : .....
भूधारक श्रेणी: लघु किसान/सीमान्त किसान/अन्य किसान/भूमिहीन भूमि का प्रकार : सिंचित/असिंचित/दोनो क्या परिवार अल्पसंख्यक समुदाय से है? (हां/ना).....
आवासीय पता : मकान सं..... अपार्टमेन्ट ..... गली ..... वार्ड सं..... ग्राम/मगरा/ढाणी/कॉलोनी/.....
ग्राम पंचायत/शहर..... तहसील..... जिला..... पिन कोड..... राज्य राजस्थान
दूरभाष सं.(लैण्ड लाईन)..... मोबाईल नं..... ई-मेल.....
.....
पारिवारिक बैंक का नाम..... पारिवारिक बैंक शाखा का नाम..... पारिवारिक बैंक खाता संख्या .....
मकान श्रेणी : स्वतंत्र मकान/बंगला/अपार्टमेन्ट/मकान रहित मकान की स्थिति : पक्का/अर्द्ध पक्का/कच्चा/झोपड़ी वर्तमान पते पर निवास की अवधि..... वर्ष

क्र. स.	आधार संख्या	परिवार के मुखिया से संबंध	नाम	पिता का नाम	माता का नाम	लिंग	जन्म तिथि/ आयु (dd/mm/yy)	वैवाहिक स्थिति	पति/पत्नी का नाम	शिक्षा का स्तर	व्यवसाय	विशेष योग्यजन	वार्षिक आय (रू)	निवासी श्रेणी	बैंक मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.		स्वयं															
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	

कॉलम सं.3 – मुखिया से संबंध : 1-स्वयं 2-पत्नी/पति 3-पुत्र/पुत्री 4-दामाद/पुत्रवधु 5-पौत्र/पौत्री 6-पिता/माता 7-ससुर/सास 8-पड़पौत्र/पौत्री 9-अन्य
कॉलम सं.7 – लिंग : 1-पुरूष 2-स्त्री 3-विपरित लिंग(ट्रांसजेन्डर)
कॉलम सं.9 – वैवाहिक स्थिति : 1-अविवाहित 2-विवाहित 3-विधवा/विधुर 4-तलाकशुदा 5-परित्याग 6-अन्य
कॉलम सं.11- शिक्षा का स्तर : 1-निरक्षर 2-साक्षर 3-प्राथमिक 4-उच्च प्राथमिक 5-माध्यमिक 6-उच्च माध्यमिक 7-स्नातक 8-स्नातकोत्तर 9-अन्य
कॉलम सं.12- व्यवसाय : 1-राज्य कर्मी 2-केन्द्रीय कर्मी 3-सार्वजनिक क्षेत्र/बैंक कर्मी 4-निजी क्षेत्र कर्मी 5-स्वनियोजित 6-व्यवसायी 7-श्रमिक 8-कृषक 9-बेराजगार 10-अन्य
कॉलम सं.13- विशेष योग्यजन : 1-अन्धता 2-बधिर 3-अपंगता 4-मानसिक 5-अन्य
कॉलम सं.14- वार्षिक आय (रू) : 1-5000 से कम 2- 5000 से 20000 3- 20000 से 50000 4- 50000 से 01 लाख 5- 01लाख से 02 लाख 6- 02 लाख से 4.5 लाख 7- 4.5 लाख से 10 लाख 8- 10 लाख से अधिक
कॉलम सं.17- निवासी श्रेणी : 1-निवासी 2-अप्रवासी 3-अप्रवासी भारतीय (एनआरआई)

नोटः- पत्नी व पति दोनो संयुक्त रूप से परिवार के मुखिया होगें तथा परिवार का बैंक खाता संख्या परिवार की महिला मुखिया का व्यक्तिगत खाता होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगुल निशानी
नाम.....

पहचान सत्यापन दस्तावेज

परिवार पहचान दस्तावेज–

राशनकार्ड का प्रकार : बीपीएल/स्टेट बीपीएल/एपीएल/अन्तोदय/कार्ड नहीं
विद्युत खातासंख्या : .....
गैस कनेक्शन संख्या : .....
बीपीएल/स्टेट बीपीएल संख्या : .....

राशन कार्ड संख्या.....
जल आपूर्ति खाता संख्या.....
गैस एजेन्सी का नाम : इण्डेन/एचपी/भारत गैस/अन्य
महात्मा गांधी नरेगा कार्ड संख्या.....

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामांकन की URN संख्या(17 अंकीय).....

व्यक्तिगत पहचान दस्तावेज–

क्र. स.	नाम	मतदाता पहचान पत्र संख्या	पेन कार्ड संख्या	ड्राईविंग लाईसेंस संख्या	पासपोर्ट संख्या	एनपीआर रसीद संख्या	रोजगार पंजीयन कमांक	सरकारी कर्मचारियों की आईडी संख्या	सामाजिक सुरक्षा पेंशन पी.पी.ओ. नम्बर	मोबाईल संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										
3.										
4.										
4.										
5.										
6.										

सत्यापन का प्रकार : 1–दस्तावेज आधारित सत्यापन, 2– सत्यापक द्वारा क्षेत्र में जानकारी कर सत्यापन किया गया (कृपया सही का निशान लगायें)

उपरोक्त उल्लेखित समस्त सूचनाऐं मेरी जानकारी अनुसार सही हैं, मेरे द्वारा किसी तथ्य को छुपाया नहीं गया है।

दिनांक:.....

प्रथम सत्यापन कर्ता के
हस्ताक्षर
(नाम, पद एवं मोहर)

आवेदक के हस्ताक्षर/
बायें हाथ की अंगूठा निशानी
नाम.....

विद्यालय की भूमिकाः–

♦ विद्यालय प्रार्थनासभा में इस योजना पर दक्ष व्यक्तियों द्वारा वार्ता करावायी जाए।
♦ छात्रों को ई–मित्र, अटल सेवा केन्द्र, बैंक का अवलोकन कराये तथा कार्यप्रणाली पर चर्चा करें।
♦ भामाशाह नामांकन शिविर के दौरान छात्रों को अवलोकन करायें।
♦ निकटतम बैंक मैनेजर से इस विषय पर वार्ता आयोजित करावे।
♦ घर के मुखियाँ का आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मनरेगा कार्ड आदि का अवलोकन एवं चर्चा करें।
♦ भामाशाह योजना पर आधारित निबंध लेखन, आशुभाषण, वार्ता, पोस्टर प्रतियोगिता, रैली, नारे लेखन आयोजित कराये।
♦ छात्रों से इस योजना से सम्बन्धित जानकारी के आधार पर प्रोजेक्ट बनवाये तथा प्रोत्साहित करे।

वस्तुनिष्ठ प्रश्न –

1. वित्तिय समावेश (Finacial inclution) का अर्थ है–
(अ) यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो
(ब) परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय लाभ प्रदान करना
(स) इस योजना से देय लाभ परिवार के सभी सदस्यों में समान बाँटना
(द) उपरोक्त में से कोई नहीं
2. सरकार द्वारा जिला भामाशाह प्रबन्धक नियुक्त किया गया है–
(अ) विकास अधिकारी
(ब) पटवारी
(स) ग्राम सेवक
(द) जिलाधीश
3. भामाशाह योजना के तहत बैंक में खाता किस नाम से खोला जाता है–
(अ) पुरूष मुखिया के नाम
(ब) पति पत्नि दोनों के संयुक्त नाम
(स) महिला (मुखिया के नाम)
(द) उपरोक्त में से किसी के भी नाम नहीं
4. भामाशाह योजना का उदेश्य है कि –
(अ) समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन को बढावा देना
(ब) सरकार द्वारा दिये वित्तिय लाभ समाज के सभी वर्गों को प्रदान करना
(स) पारदर्शिता के साथ, बिना विलम्ब के योजना का नगद लाभ वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे हस्तान्तरण हो
(द) उपरोक्त सभी।

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. परिवार में महिला मुखिया की आयु 18 वर्ष से कम होने पर परिवार का मुखिया किसे घोषित करेंगे?
2. क्या भामाशाह योजना से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा?
3. क्या भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को मुफ्त मेडिकल बीमा का लाभ देय है
4. क्या पुरूष भी भामाशाह योजना कार्ड बनवा सकते हैं।
5. क्या शिविर में मूल दस्तावेज लाना आवश्यक है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. भामाशाह योजना में बैंक खाता खोलने हेतु कौन कौन से दस्तावेज प्रयोग में लिये जा सकते है ?
2. भामाशाह योजना से भ्रष्टाचार पर किस प्रकार अंकुश लगेगा?
3. भामाशाह योजना के उद्देश्य समझाइये।
4. वित्तिय समावेशन (Financial inclusion) का अर्थ समझाइये।
5. भामाशाह डेटा हब के उपयोग बताईये।

निबन्धात्मक प्रश्न

1. राज्य में महिलाओं की पूर्व स्थिति कैसी थी तथा भामाशाह योजना महिलाओं के लिए कैसे लाभप्रद होगी?
2. भामाशाह नामांकन प्रणाली को बताअयें तथा भामाशाह कार्ड द्वारा राजस्थान सरकार कौन–कौन से लाभ आम आदमी को देगी?
3. भामाशाह डेटा हब क्या है तथा इसका क्या उपयोग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में किया जा सकता है?

उत्तर 1. (अ) 2. (द) 3. (स) 4. (द)